

सेवा में,

**श्री मान सचिव महोदय,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
राजस्थान, अजमेर**

महोदय,

हमारे विद्यालय को राजकीय आदेशों के तहत माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है, बोर्ड से प्राप्त प्रपत्र

*** क * नियमानुसार दस्तावेज / मूलनामों के साथ अस्थाई मान्यता हेतु निवेदन किया जा रहा है –**

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
1. हमारे विद्यालय का दूरभाष सम्पर्क संख्या है – |
 2. माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति का आदेश सलग्न है |
 3. अस्थाई मान्यता शुल्क / विलम्ब शुल्क जमा करने की रसीद / डी.डी. की प्रतिलिपि सलग्न है |
 4. शिक्षा विभाग / राज्य सरकार से प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु जारी अस्थाई अनुज्ञा / अस्थाई मान्यता प्रमाण पत्र / स्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति सलग्न है |
 5. कक्षा 1 से 5 तक की छात्र-छात्राओं की कक्षावार मंख्याओं का विवरण साथ सलग्न है |
 6. कक्षा कक्षों का एवं प्रयोगशालाओं की संख्या एवं पाप सलग्न है |
 7. विद्यालय भवन का नवीन निर्याण प्राप्त व खेल के पैदान का नक्शा (ब्लू प्रिट) सलग्न है |
 8. विद्यालय भवन का नवीन भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र सलग्न हैं |
 9. बोर्ड नियमानुसार / राजकीय नियमानुसार स्थिर राशि / बालिका फाउंडेशन की जमा रसीद सलग्न है |

10......

11......

12......

कुल सलग्नक -



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र (क)

मान्यता क्रमांक –

राजकीय विद्यालयों के लिए

माध्यमिक स्तर की अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन

(यह प्रपत्र 'क' दो प्रतियों में समस्त दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा)

सेवा मे,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,

अजमेर,

मे पद

विद्यालय का नाम, पता

संपर्क नम्बर प. स. जिला

की ओर से निम्न विवरण प्रस्तुत कर बोर्ड से माध्यमिक स्तर की मान्यता हेतु निवेदन करता हूँ कि –

- विद्यालय कक्षा 8 तक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है (मान्यता प्रमाण पत्र सलग्न हैं)
- विद्यालय को राज्य सरकार / शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार कक्षा 9 के लिए क्रमोन्नति आदेश जारी कर दिये हैं। (प्रमाणित प्रति सलग्न हैं)
- क्रमोन्नति के अनुसार विद्यालय में तृतीय भाषा संस्कृत है और पढ़ाई का माध्यम हिंदी है।
- क्रमोन्नति आदेश के अनुसार कक्षा 9 सत्र 2018-19 में आरम्भ कर दी है।
- विद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन है, जिसकी विद्यालय से दूरी KM है।
- विद्यालय से निकटतम बस स्टेशन है, जिसकी विद्यालय से दूरी KM है।
- कक्षा 1 से 5 का अलग भवन / प्रबन्धन के तहत संचालन का प्रमाण पत्र सलग्न है।
- कक्षा 6 से 10 का कक्षावार छात्र संख्या विवरण सलग्न है।
- कक्षा 9 व 10 के लिए सिंगल सिटेड फर्नीचर उपलब्ध है / उपलब्ध नहीं है।
- छात्र / छात्रा के लिए स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा उपलब्ध है / उपलब्ध नहीं है।
- विद्यालय का नक्शा एवं भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र सलग्न है।
- विद्यालय में छात्रों के बैठने के लिए पर्याम सुविधा उपलब्ध है / उपलब्ध नहीं है।

घोषणा – पत्र

मे विद्यालय की ओर से अधिकृत होकर निष्ठापूर्वक घोषणा कर सहमति देता हूँ कि मैंने बोर्ड के नियमों को पढ़ समझा लिया हैं और आवेदन पत्र में दिया गया विवरण पूर्ण रूप से सही एवं सत्य हैं तथा अपनी ओर से तथा संस्था की ओर से यह भी सहमति देता हूँ कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के बर्तमान और भविष्य में सशोधित होने वाले नियमों और अधिनियमों का पालन करता रहूँगा। बोर्ड यदि हमारे विद्यालय को भविष्य में परीक्षा केंद्र बनाता हैं तो मेरी इसमें कभी भी अपनी असहमति देने का अधिकार नहीं होगा। जितनी छात्र संख्या दर्शायी गयी है उतना सिंगल सिटेड फर्नीचर केंद्र आवंटित होने पर उपलब्ध करवाऊंगा यदि नहीं करा पाता हूँ तो उसकी व्यवस्था विद्यालय खर्चे पर ही करने की सहमति देता हूँ। इसके साथ ही यह भी सहमति देता हूँ कि यदि बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का प्रवेश विद्यालय की ब्रुटी से फर्जी पाता हैं मैं एवं संस्था इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इस कारण बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त कर सकेंगा।